रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220851
CG-DL-E-05082020-220851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2020/श्रावण 13, 1942
No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2020/SRAVANA 13, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

जांच समाप्ति

विषय:- "नेप्थालीन के दोनों रूपों"- चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, रूस, ईरान और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अपरिष्कृत नेप्थलीन और चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित परिष्कृत नेप्थलीन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

फा.सं. 14/35/2015-डीजीएडी.— क. प्रक्रिया

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मै. हिमाद्री कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार महानिदेशक के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें अपरिष्कृत और परिष्कृत नेप्थलीन (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) अपरिष्कृत नेप्थलीन के आयातों से संबंधित

देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, रूस, ईरान, और जापान हैं जबकि अपरिष्कृत नेप्थलीन के आयातों से संबंधित देश चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और ताइवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) हैं ।

2. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध पाटनरोधी जांच के बारे में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/35/2015-डीजीएडी दिनांक 1 जून, 2016 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ।

ख. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के बाद पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजी थीं और उनसे जांच शुरूआत अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था ।

4. प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर (इक्यूआर) प्रस्तुत करने के लिए 5-8-2016 तक समय बढ़ाया था जिसे डीजीटीआर वैबसाइट के जरिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था ।

5. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध कराई ।

6. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था । उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भी उन्हें भेजी गई थी ।

7. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देकर और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत करके प्राधिकारी को उत्तर दिया था ।

8. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा था ।

9. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार 10.4.2017 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी । तत्पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण 2.11.2017 को दूसरी मौखिक सुनवाई भी हुई थी ।

10. इसी बीच मै. बोदल कैमिकल्स लिमिटेड ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की ।

11. प्राधिकारी ने जांच को पूरा करने के लिए समय को 31.08.2017 तक बढ़ाने की अनुमति दी थी जिसे डीजीटीआर वैबसाइट के जरिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था । प्राधिकारी ने पुन: जांच पूरी करने के लिए समय सीमा को 30.11.2017 तक बढ़ाया था ।

12. जांच पूरी करने के लिए 18 महीने की समय सीमा और उसे 30.11.2017 तक बढ़ाए जाने के कारण प्राधिकारी ने सभी संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2017 के आदेश पर विचार करते हुए प्राधिकारी आगे की समुचित कार्रवाई निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार करेंगे । इस बात को 29.11.2017 को डी जी टी आर की वैबसाइट के जरिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया गया है ।

"याचिकाकर्ता के वकील तथा नए जुड़े प्रतिवादी के दिनांक 10 अगस्त, 2017 के अनुरोध पर श्री देवांग व्यास, जो प्राधिकारी का पक्ष रखने वाले विद्वान वकील हैं, ने अनुरोध किया कि उन्हें संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बताया गया है कि चूंकि समय तेजी से बीत रहा है, इसलिए वकीलों और पक्षकारों को प्रदत्त अवसर से अंतत: अंतिम जांच परिणाम संबंधी निर्णय के लिए कोई लाभकारी परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है । न्यायालय का यह विचार है कि इस मामले संबंधी उत्सुकता पर मामले को उठाए जाने और कारगर सुनवाई के समय ध्यान दिया जाएगा । इस स्तर पर यह कहना पर्याप्त है कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई तत्काल कार्रवाई नहीं करनी है " ।

13. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.02.2020 के अपने निर्णय द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि :

"33. इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि पूर्वोक्त कारणों की वजह से विशेष रूप से जबकि विचाराधीन अधिसूचना किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के लिए किसी भी पूर्वाग्रह का कारण नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने किसी विशेष पूर्वाग्रह की दलील नहीं दी है, इसलिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहां की गई विस्तृत समुक्तियां अधिसूचना को चुनौती देने के प्रयोजनार्थ की की गई हैं और उनसे जांच, यदि कोई हो, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

34. इसके परिणामस्वरूप याचिका विफल होती है और एतद्वारा खारिज की जाती है।"

ग. घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त अनुरोध

14. यद्यपि, प्राधिकारी नियमावली के अनुसार जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे थे, घरेलू उद्योग ने दिनांक 10.06.2020 के अपने पत्र द्वारा एडी नियमावली के नियम 14(क) के अंतर्गत यह कहते हुए वर्तमान जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया कि चूंकि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से पाटन के कारण क्षति होना जारी है, इसलिए वह रिकॉर्ड में उपलब्ध बाद की सूचना और अन्य देशों जिन्हें वर्तमान जांच में शामिल नहीं किया गया है, को शामिल करने के लिए याचिका को पुन: प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ उसे वापस लेने की अनुमति की मांग करता है ।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 14(क) का पाठ है :

" 14. **जांच की समाप्ति –** निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी जांच को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल समाप्त कर देंगे यदि -

(क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है ।

16. यह नोट किया जाता है कि नियम 14 में कतिपय स्थितियों में जांच समाप्त करने की व्यवस्था है, जिनमें कंपनी द्वारा आवेदन वापस लिए जाने की तिथि शामिल है । नियमावली के नियम 14(क) में यह व्यवस्था है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे, यदि उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग, जिसके अनुरोध पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होता है । वर्तमान जांच में मै. हिमाद्री कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आवेदक घरेलू उत्पादक हैं, जिनके अनुरोध पर जांच शुरू की गई थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग याचिका को वापस लेना चाहता है ताकि वह अन्य देशों को शामिल करके आवेदन के दायरे को बढ़ा सके । यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 14(क) जांच की समाप्ति के लिए एक बार घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोध करने पर जांच की समाप्ति के मामले में प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है ।

ड. निष्कर्ष

17. पूर्वोक्त अनुरोध पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) के मद्देनजर प्राधिकारी अधिसूचना सं. 14/35/2015- डीजीएडी द्वारा दिनांक 01.06.2016 को "नेप्थलीन के दोनों रूपों" - चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, रूस, ईरान और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अपरिष्कृत नेप्थलीन और चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित अपरिष्कृत नेप्थलीन के आयातों के संबंध में शुरू की गई पाटनरोधी जांच को एतद्वारा समाप्त करते हैं।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2020

TERMINATION

Subject: Anti-dumping investigation in respect of imports of "Naphthalene in both its forms"- Crude Naphthalene originating in or exported from China PR, European Union, Russia, Iran and Japan and Refined Naphthalene originating in or exported from China PR, European Union and Taiwan.

F. No. 14/35/2015 - DGAD.— A. Procedure

1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification and Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") thereof, M/s Himadri Chemicals & Industries Ltd (hereinafter referred to as the "Applicant") filed an application before the Director General in accordance with the Act and Rules supra for initiation of Anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duties on imports of Crude and Refined Naphthalene (hereinafter also referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"). The Countries concerning Crude Naphthalene imports are China PR, European Union, Russia, Iran and Japan, while the Countries concerning Refined Naphthalene imports are China PR, European Union and Taiwan (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No.14/35/2015-DGAD dated 1st June 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, subject anti-dumping investigation in accordance with the Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. Procedure

3. The Authority post-initiation sent copies of the initiation notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the AD Rules.

4. The Authority, granted extension, to file Exporter Questionnaire Response (EQR) by 05.08.2016, which was placed in the public domain through DGTR's website.

5. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

6. The Embassy of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from its countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

7. In response to the initiation notification and intimation, exporters/ producers from subject countries and importers/ users responded to the Authority by filing Exporter's Questionnaire Response and filing legal submissions.

8. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

9. The Authority, in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules held an oral hearing on 10.04.2017. Subsequently, another oral hearing was held on 02.11.2017 in view of the change of the Designated Authority.

10. Meanwhile, M/s Bodal Chemicals Ltd approached the High Court of Gujarat challenging the initiation notification.

11. The Authority was accorded permission for extension of time for completing the investigation i.e. up to 31.08.2017, which was placed in the public domain through DGTR's website. The Authority was again granted permission to extend the time limit of concluding the investigation by 30.11.2017.

12. In lieu of the 18 months' timeline for completion of investigation and extension for the same up to 30.11.2017, the Authority informed all the concerned interested parties that considering the Hon'ble Gujarat High Court order dated 02.08.2017, the Authority will take further appropriate action as per directions contained in the judgment. The same was placed in the public domain through DGTR's website on 29.11.2017. The Hon'ble High Court Order, *interalia,* stated as follows:

> *"At the request of counsel for the petitioners as well as newly added respondent, put up on 10th August 2017. Shri Devang Vyas, learned counsel appearing for the authorities submitted that it has been expressed to him by the authorities concerned that as the time is running, the accommodation which has been granted to the counsels and parties may not ultimately yield any fruitful results for deciding the final findings. The Court is of the view that the anxiety could be taken care of when the matter is taken up and after effective hearing. Suffice it to say at this stage that no precipitative action till the next date of hearing."*

13. The Hon'ble Gujarat High Court vide its Judgment dated 20.02.2020 dismissed the writ petition. The Hon'ble High Court Order, *interalia,* stated as follows:

> *"33. This Court is of the considered view that for the aforesaid reasons especially when the notification impugned is not in any manner causing any prejudice to the petitioners, as the petitioners has not pleaded any special prejudice, the Court need not interfere therewith. It goes without saying that the detail observations made hereinabove are only for the purpose of examining the challenge to the notification and the same shall have no bearing upon investigation, if any.*
>
> *34. As a result thereof, petition fails and is hereby dismissed."*

C. Request Received from the Domestic Industry

14. While the Authority was in the process of proceeding further with the conduct of investigations, in accordance with the Rules, the domestic industry made a request to terminate the present investigation under Rule 14(a) of the AD Rule vide its letter dated 10.06.2020 stating that as the domestic industry continues to suffer from dumping from other countries in addition to the subject countries and hence would bring subsequent information on record and add other countries that are not included in the present investigation and further seeking permission to withdraw the petition with liberty to resubmit the same.

D. Examination by the Authority

15. The Authority notes that the Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules read as under:

> *"Rule 14. Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if –*
>
> > *(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation* was initiated;"

16. It is noted that Rule 14 provides for termination of investigations in certain situations which includes a situation where the application is withdrawn by the company. Rule 14(a) of Rules provides that the Designated Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated. In the present investigation M/s Himadri Chemicals & Industries Ltd is the applicant domestic producer, on whose instance the investigation was initiated. The Authority notes that the domestic industry desires to withdraw the petition so as enhance the scope of application with other countries as well. It is noted that Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules does not grant any discretion to the Authority in the matter of termination of investigation, once the domestic industry files a written request for termination of the investigation.

E. Conclusion

17. In view of the aforesaid request and Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby terminates the anti-dumping investigation concerning imports of "Naphthalene in both its forms"- Crude Naphthalene originating in or exported from China PR, European Union, Russia, Iran and Japan and Refined Naphthalene originating in or exported from China PR, European Union and Taiwan initiated on 01.06.2016 vide Notification No.14/35/2015-DGAD.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2020.08.05 17:38:07 +05'30'